राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग
DIRECTORATE OF MINES & GEOLOGY
खनिज भवन, उदयपुर – 313001 / Khanij Bhawan, Udaipur – 313001
दूरभाष Phones 2415091-95, फैक्स / Fax: 0294 - 2410526

क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ML-IV)/2022/134 दिनांक:27.01.2023

Corrigendum-3

निदेशालय की नीलामी विज्ञप्ति क.सं. निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ML-IV)/2022/2131 दिनांक: 16.11.2022 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

1. विज्ञप्ति के क्रम संख्या 583 व 584 पर अंकित खनि अभियंता, बाड़मेर का प्लॉट संख्या क्रमशः 131 व 132 को एम–सेण्ड यूनिट हेतु आरक्षित किया गया है। अतः इसकी नीलामी निम्न शर्त के अधीन रहेगी:–

"खनि अभियंता, बाड़मेर के प्लॉट संख्या 131 व 132 को राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 12 के तहत केवल एम सेण्ड यूनिट हेतु आरक्षित किया गया है। उक्त प्लॉट के संबंध में आवंटी एम–सेण्ड नीति 2020 एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के अनुसार एवं समय–समय पर संशोधन अनुसार नियमों की पालना हेतु बाध्य रहेगा। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 28(2)(IV)(ee) के अनुसार उपरोक्त आरक्षित किये गये खननपट्टें से निर्गमित खनिज का उपयोग केवल एमसेण्ड हेतु किया जायेगा। उपरोक्त खननपट्टें से निर्गमित खनिज को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अन्यत्र बेचान /हस्तान्तरित/ निस्तारित नहीं कर सकेगा। उक्त नियम के परन्तुक के अनुसार एमसेण्ड निमार्ण के दौरान अन्य उत्पाद जिसका एमसेण्ड के रूप में निर्गमन नहीं किया जा सकता उसको पट्टाधारी रॉयल्टी मय डीएमएफटी व अन्य शुल्क का भुगतान कर ई–रवन्ना के माध्यम से निर्गमित कर सकता है।

एमसेण्ड नीति 2020 बिन्दु संख्या 5 के अनुसार नई एमसेण्ड ईकाई स्थापित करने हेतु आवेदक की पात्रता की शर्ते निम्नानुसार होगी:–

1. न्यूनतम 3 करोड़ रूपये की नेटवर्थ तथा 3 करोड़ रूपये का टर्नऑवर।
2. पूर्व में इस क्षेत्र (क्रशिंग) का सफलतापूर्वक (न्यूनतम 3 वर्ष) चलाने का स्वयं का अथवा संयुक्त उपक्रम में भागीदार का अनुभव।

उक्त बिन्दु संख्या 1 व 2 की शर्तों के संबंध में सफलतम बोलीदाता को प्रमाणित दस्तावेज, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 13(3) के अनुसार प्रिमीयम की प्रथम किश्त तथा नियम 14(10) के अनुसार दस्तावेज तथा विज्ञप्ति के बिन्दु स(10) के अनुसार दस्तावेजों के साथ निर्धारित 15 दिवस में संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें।"

(जय के. गुरूबक्षाणी)
अतिरिक्त निदेशक (खान) मु0

Signature valid
Digitally signed by Jai Kishan Gurbaxani
Designation : Superintending Mining Engineer
Date: 2023.01.27 22:18:00 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 3069520

क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ML-IV)/2022/135-139 दिनांक: 27.01.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. शाखा प्रबंधक, एमएसटीसी लि0, जयपुर को भेजकर लेख है कि तत्काल वेबसाईट पर प्रकाशन करा सभी भाग लेने वाले बोलीदाताओं को अपने स्तर से तत्काल सूचित करावें।
2. नोडल अधिकारी, DMGOMS के०का० उदयपुर को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
3. अतिरिक्त निदेशक (खान) जोन– जोधपुर।
4. अधीक्षण खनि अभियंता – जोधपुर।
5. खनि अभियंता – बाड़मेर।

(जय के. गुरूबक्षाणी)
अतिरिक्त निदेशक (खान) मु0

Signature valid
Digitally signed by Jai Kishan Gurbaxani
Designation : Superintending Mining Engineer
Date: 2023.01.25 22:18:00 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3069520